किस्म मुकदमा – 136 LAND REVENUE ACT

प्रकरण सं 12/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.05.2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता व पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रकरण मे संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा मे अवस्थित साबिक आराजी नं.1559 रकबा 07 बीघा 02 बिश्वा किस्म पाल तालाब,आराजी नं.1560 रकबा 124 बीघा 17 बिश्वा क्रमश: किस्म पेटा की भूमि 100 बीघा 17 बिश्वा , व किस्म छाक रकबा 24 बीघा आराजी किता 2 रकबा 131 बीघा 19 बिश्वा तत्कालीन जमाबंदी संम्वत् 1985 मे बिलानाम दर्ज होकर उक्त भूमि उपरोक्तानुसार वर्गीकृत रही है। तत्समय मे साबिक आराजी बंदोबस्त की जरीब पैमाईश के अनुसार 152.5 फीट से भूमि 131 बीघा 19 बिश्वा दर्ज है। तहसील भीलवाड़ा मे सम्पादित नवीन बंदोबस्त की कार्यवाही के दौरान नपती की जरीब 165 फीट के अनुसार साबिक रकबे मे प्रति बीघा 03 बिश्वा कमी होती है और नवीन बंदोबस्त के अनुसार इसी प्रकार प्रविष्ठि होकर साबिक आराजी नं.1559 के नवीन नम्बर 1998 रकबा 06 बीघा 11 बिश्वा किस्म पाल व साबिक आराजी नंबर 1560 के नवीन आराजी नंबर 1999 कायम कर रकबा 107 बीघा 19 बिश्वा गेमु.तालाब अंकित किया है। साबिक आराजी नंबर 1560 मे भूमि की किस्म पेटा व छाक दर्ज थी। छाक का क्षेत्रफल 24 बीघा को किस्म गेमु.पेटा मे सम्मिलित कर बंदोबस्त विभाग ने त्रुटिपूर्ण प्रविष्ठी अंकित की है। अत: प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर आराजी नंबर 1999 मे से 20 बीघा 08 बिश्वा भूमि की किस्म गेमु.तालाब से हटाकर इसकी किस्म " छाक " अंकित की जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई की गयी। तहसीलदार भीलवाड़ा के पत्रांक /भू.अ./2025/3169 दिनांक 16.09.2025 अनुसार प्रार्थी ग्राम नगरपरिषद ग्राम भीलवाड़ा के आराजी नं. 1998 रकबा 1.6565 हेक्टेयर व आराजी नं.1999 रकबा 27.3385 हेक्टेयर भूमि मे किस्म गेमु.तालाब के बजाय रकबा 20 बीघा 08 बिश्वा भूमि की किस्म गेमु.तालाब के बजाय छाक बदलवाना चाहते है। उक्त आराजीयात् मे वक्त भूप्रबन्ध से ही किस्म गेमु.तालाब दर्ज रिकार्ड है। आराजी नंबर 1998,1999 पर गांधीसागर तालाब बना हुआ है तथा वर्तमान मे पानी भरा हुआ है। प्रार्थी अधिवक्ता व पैरोकार सरकारकी बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विधि का अनुशीलन किया गया। प्रार्थना पत्र मे अंकित ग्राम भीलवाड़ा की हाल आराजी सं.1999 किस्म गेमु,तालाब मौके पर पानी भरा होकर तालाब के रूप मे उपयोग मे आने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य नही ठहरता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी	